

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एसएपी ईआरपी कार्यपरक मॉड्यूलस की सहायता: राष्ट्रीय आवास बैंक

## एसएपी ईआरपी कार्यपरक मॉड्यूलस की सहायता के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: 011-39187000; 011-39187113; 011-39187187

ईमेल: [Susanta.padhi@nhb.org.in](mailto:Susanta.padhi@nhb.org.in); [munish.bhutani@nhb.org.in](mailto:munish.bhutani@nhb.org.in)

<u>बोली का सारांश</u>		
1.	बोली वाले दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की	15-07-2017
2.	बोली वाले दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि व समय	08-08-2017 18:00 बजे
3.	बोली वाले दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय	08-08-2017 18:00 बजे
4.	बोली पूर्व बैठक की तिथि व समय	24-07-2017 15:00 बजे
6.	तकनीकी बोली खालने की तिथि व समय	09-08-2017 12:00 बजे
7.	आरएफपी की लागत	5,000/-रूपये (अप्रतिदेय)
8.	धरोहर राशि (ईएमडी)	200,000/- रूपये (प्रतिदेय)
9.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक प्रौद्योगिकी विभाग प्रधान कार्यालय, कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

टिप्पणी:-तकनीकी बोलियां उन बोलीदाताओं के उपस्थिति में खोली जाएंगी उपरोक्त के तौर पर भाग लेना चाहे। उपरोक्त समय-सारणी बदलाव के अधीन है। किसी प्रकार के बदलाव होने की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मी के ईमेल के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी अथवा बैंक की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त कृपया यह भी ध्यान दें कि तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय व स्थान की सूचना बाद में दी जाएगी।

इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी प्रमाण/कंपनी के अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत सभी डेटा/सूचना देना आवश्यक है एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तिथि के तौर पर समझा जाएगा।

## GLOSSARY

संक्षेपाक्षर	विवरण
NHB	राष्ट्रीय आवास बैंक
DC	डाटा सेंटर साइट, दिल्ली
DR	आपदा बहाली स्थल, मुंबई
HFC	आवास वित्त कंपनी
HO	प्रधान कार्यालय, दिल्ली
RRO	क्षेत्रीय प्रतिनिधिक कार्यालय
ITD	सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई
PSB	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
ERP	उद्यम संसाधन योजना
FICO	वित्तीय लेखांकन एवं नियंत्रण
CFM	कार्पोरेट वित्त प्रबंधन
CML	कार्पोरेट बंधक ऋण
MM	सामग्री प्रबंधन
HR	मानव संसाधन
HCM	मानव पूंजी प्रबंधन
ABAP	उन्नत व्यापारिक अनुप्रयोग कार्यक्रम
BASIS	व्यापारिक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर एकीकृत साधन
BI	व्यापारिक आसूचना
BW	व्यापारिक भंडारण
BO	व्यापारिक विषय
CHaRMS	परिवर्तन अनुरोध प्रबंधन प्रणाली
UAT	प्रयोक्ता स्वीकरण परीक्षण
HA	अत्यधिक उपलब्धता
GRC	अभिशासन, जोखिम एवं अनुपालन
SRM	आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन
OS	परिचालन प्रणाली
DB	डाटाबेस
Solman	साधन प्रबंधक
IDES	इंटरनेट प्रदर्शन एवं मूल्यांकन प्रणाली
CCMS	केंद्रीकृत अभिकलन केंद्र प्रबंधन प्रणाली
PRD	उत्पादन
Qty	गुणवत्ता
DEV	विकास

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एसएपी ईआरपी कार्यपरक मॉड्यूल्स की सहायता: राष्ट्रीय आवास बैंक

CUA	केंद्रीय उपयोगकर्ता प्रशासन
SLD	प्रणाली परिदृश्य निर्देशिका
DBA	डाटाबेस प्रशासक
SLA	सेवा स्तरीय करार
NDA	गैर विगोपन करार
LFC	छुट्टी किराया रियायत
SMA	विशेष उल्लेख वाले खाते
CRAR	जोखिम (भारत) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
NPA	अनर्जक आस्तियां
ALCO	आस्ति देयता समिति
TDS	स्रोत पर कर कटौती
T-Bill	राजकोष बिल
BP	व्यापारिक साझीदार
PLR	मूल उधार दर
RMMD	संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग
ROD	पुनर्वित्त परिचालन विभाग
RMD	जोखिम प्रबंधन विभाग
GL	प्रधान खाताबही
CP	वाणिज्यिक पत्र
CBLO	संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व
ALM	आस्ति देयता प्रबंधन
DFID	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग
TAT	प्रतिवर्तन काल
CBDT	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
SEBI	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड
MEC	न्यूनतम पात्रता मानदंड
RFC	रिमोट फंक्शन कॉल
RBI	भारतीय रिजर्व बैंक
FSV	वित्तीय विवरण संस्करण
A & L	आस्ति एवं देयता
FIIS	वित्तीय संस्थान सूचना प्रणाली
S & D	स्रोत एवं परिनियोजन
GST	वस्तु एवं सेवा कर
IndAS	भारतीय लेखांकन मानक
QCBS	गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली
KRA	मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक
ESS	कर्मचारी स्वयंसेवा
MSS	प्रबंधक स्वयंसेवा

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एसएफपी ईआरपी कार्यपरक मॉड्यूल्स की सहायता: राष्ट्रीय आवास बैंक

DMS	दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
IFRS	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
EP	उद्यम पोर्टल
SOW	कार्यक्षेत्र
SQL	मानकीकृत पृच्छा भाषा
ECS	इलेक्ट्रॉनिक समासोधन सेवा
ECC	ईआरपी केंद्रीय संघटक
WPB	कार्य कार्य-निष्पादन कर्ता
EHP	संवृद्धि समूह
TCO	स्वामित्व की कुल लागत
EMD	धरोहर राशि
RFP	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
PBG	कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी
AMC	वार्षिक अनुरक्षणा लागत
LC	बड़े उद्योग (कार्पोरेट) (एलसी): ऐसा संगठन जिसका विगत तीन वर्षों के दौरान 1000 करोड़ अथवा उससे अधिक का सालाना करोबार हैको इस आरएफपी के लिए बड़े उद्योग (एलसी) के तौर माना जाएगा।

व्याख्या: शब्द आरएफपी, निविदा, बोली को एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है एवं इसे एक व इस आरएफपी दस्तावेज के प्रयोजनार्थ एक जैसा ही समझा जायासभी स्पष्टीकरण, संशोधन, आशोधन, पूरक जो इस आरएफपी के संबंध में जारी किये जा सकते हैं, इस आरएफपी के हिस्से एवं अभिन्न अंग के तौर पर समझा जाएगा एवं आरएफपी दस्तावेज में समाविष्ट होंगे।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एसएपी ईआरपी कार्यपरक मॉड्यूल्स की सहायता: राष्ट्रीय आवास बैंक

1.	भूमिका .....	8
1.1	प्रयोजन .....	8
1.2	दस्तावेज की संरचना .....	9
2.	राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में .....	9
3.	बोलीदाताओं को अनुदेश .....	10
3.1	बोली पूर्व बैठक .....	11
3.2	निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कापी .....	11
3.3	निविदा की गैर हस्तांतरणीयता .....	11
3.4	गोपनीयता का बयान .....	11
3.5	बोली की भाषा .....	12
3.6	प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली (डमास्क) .....	12
3.7	मिटाना अथवा संशोधन करना .....	12
3.8	बोली वाले दस्तावेजों में संशोधन .....	13
3.9	स्थानमात्रा में सुधार करने का अधिकार/ .....	13
3.10	बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज .....	13
3.11	बोली की मुद्रा .....	14
3.12	धरोहर राशि (ईएमडी) .....	14
3.13	कार्य-निष्पादन गारंटी .....	15
3.14	बोलियों की वैधता की अवधि .....	15
3.15	बोलियों का प्रारूप एवं हस्ताक्षर करना .....	15
3.16	बोलियों पर मुहर लगाना एवं चिह्नांकन करना .....	16
3.17	बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा .....	16
3.18	देर से प्राप्त होने वाली बोलियां .....	16
3.19	बोलियों का संशोधन एवं अथवा वापस लेना/ .....	16
3.20	बैंक द्वारा बोलियां खोलना .....	17
3.21	बोलियों का स्पष्टीकरण .....	17
3.22	प्रारंभिक जांच .....	17
3.23	प्रस्ताव का स्वामित्व .....	17
3.24	बोलीदाताओं को अनुदेश .....	18
3.25	कीमत के संघटक एवं फेरबदल .....	18
3.26	आदेश का निरस्तीकरण .....	18

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एसएपी ईआरपी कार्यपरक मॉड्यूल्स की सहायता: राष्ट्रीय आवास बैंक

3.27	सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता .....	18
3.28	नियमावली एवं आरेख .....	18
3.29	बोली कनका मूल्यां (बिड) .....	18
3.30	संशोधन एवं वापसी .....	19
3.31	कीमतों का प्रकटन .....	19
3.32	बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें .....	19
3.33	स्थानीय परिस्थितियां .....	20
3.34	राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना .....	20
3.35	प्रस्ताव की सामग्री .....	20
3.36	प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये आपूर्तिकर्ता .....	20
3.37	कानूनों का अनुपालन .....	20
3.38	बौद्धिक संपदा अधिकार .....	21
3.39	झूठाअधूरा विवरण/ .....	22
4.	वर्तमान व्यवस्था .....	22
5.	कार्यक्षेत्र .....	27
5.1	विस्तृत कार्यक्षेत्र .....	28
5.2	प्रदेय .....	36
6.	परियोजना की अनुसूची .....	36
7.	बोली लगाने की प्रक्रिया (दो चरण) .....	37
7.1	बोली के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली .....	37
7.2	न्यूनतम पात्रता मानदंड .....	38
7.3	तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन .....	39
7.4	वित्तीय बोली .....	41
7.5	अंतिम प्रक्रिया .....	42
8.	वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें .....	42
8.1	आरएफपी की लागत .....	42
8.2	मुद्रा .....	42
8.3	कीमत .....	42
8.4	भुगतान की शर्तें .....	43
8.5	संविदा के समापन के मामले में भुगतान .....	43

## 1. भूमिका

### 1.1 प्रयोजन

- राष्ट्रीय आवास बैंक (इसके पश्चात बैंक के तौर पर संदर्भित) जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, खंड 5 में परिभाषित कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रतिष्ठित आईटी कंपनी जो एसएपी प्रणाली के लिए अनुरक्षण सहायता उपलब्ध कराते हैं, के माध्यम से एसएपी ईसीसी कार्यपरक मॉड्यूल (एफआईसीओ, एमएम, एचआर, बीआई/बीडब्ल्यू/बीओ, ईएसएस/एमएसएस) एवं बैंक में कार्यान्वित इससे जुड़े घटकों के लिए स्थलीय सहायता सेवा प्राप्त करने का इच्छुक है। प्रणाली के कार्यक्षेत्र को बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
- बैंक सफल बोलीदाता के साथ 5 वर्षों की सेवा संविदा संपन्न करेगा। कार्य आदेश प्रारंभ में एक वर्ष के लिए दिया जाएगा एवं संतोषजनक कार्य-निष्पादन की समीक्षा करते हुए उक्त को नवीनीकृत किया जा सकता है।
- इस आरएफपी दस्तावे में अंतर्विष्ट विवरण ऐसी जानकारी से युक्त है जो प्राप्त तिथि को सत्य एवं प्रासंगिक मानी जाती है लेकिन सभी जानकारी यह अर्थ न लगाया जाय कि यह संविदा करने वाली इच्छुक पार्टियों को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक अथवा वांछनीय है चाहे वे सेवाओं के उपबंध के संबंध में बैंक के साथ संविदा अथवा व्यवस्था पर निर्णय करें अथवा संपन्न न करें। न तो बैंक और न ही बैंक के कोई निदेशकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, एजेंट, प्रतिनिधि, ठेकेदार अथवा सलाहकार इस आरएफपी में दिये अथवा किए गये किसी लेखन, सूचना अथवा विवरण की सटीकता, अद्यतन अथवा संपूर्णता के तौर पर अभिव्यक्ति अथवा अंतर्निहित कोई अभ्यावेदन अथवा आश्वासन (चाहे मौखिक हो अथवा लिखित में) नहीं देता है।
- किसी कानून के अधीन कानूनी के विपरीत अथवा कानून द्वारा अनुज्ञप्त अधिकतम सीमा तक बैंक एवं इसके निदेशकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ठेकेदार, प्रतिनिधि, एजेंट एवं सलाहकार इस आरएफपी में अंतर्विष्ट पूर्वानुमान, विवरण, आकलन अथवा प्रक्षेपण एवं इससे संबंधित सहायक सेवाओं के संचालन चाहे वह बैंक अथवा इसके किसी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ठेकेदार, प्रतिनिधि, एजेंट अथवा सलाहकारों की ओर से किसी अनभिज्ञता, लापरवही, उपेक्षा, अनियमितता, अवहेलना, भूल, चूक, असावधानी, अधूरी जानकारी, जालसाजी, मिथ्या प्रस्तुतिसहित किसी प्रकार की सूचना के कारण काम करने वाले किसी व्यक्ति अथवा काम करने वाले के व्यक्ति के आड़े आने से प्रभावित किसी प्रकार की हानि अथवा क्षति (चाहे पूर्वाभाषी हो अथवा नहीं) से सभी देयताओं को अस्वीकार करते हैं।

## 1.2 दस्तावेज की संरचना

इस आरएफपी को 10 खंडों में व्यवस्थित किया गया है:

खंड संख्या	विवरण
खंड 1: भूमिका	इस दस्तावेज के प्रयोजन के अलावा प्रत्येक खंड में अंतर्विष्ट विवरण का वर्णन करता है
खंड 2: राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में	राष्ट्रीय आवास बैंक का संक्षिप्त सिंहावलोकन प्रदान करता है
खंड 3: बोलीदाताओं को अनुदेश	बोलीदाताओं को विस्तृत अनुदेश प्रदान करता है
खंड 4: वर्तमान अवस्था	राष्ट्रीय आवास बैंक में एसएपी की वर्तमान अवस्था का सिंहावलोकन प्रदान करता है।
खंड 5: कार्यक्षेत्र	बोलीदाताओं को कार्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करता है
खंड 6: परियोजना की अनुसूची	परियोजना अनुसूची का विवरण प्रदान करता है
खंड 7: बोली लगाने की प्रक्रिया (दो चरण)	प्रस्ताव के मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं मानदंड का वर्णन करता है
खंड 8: वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें	वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें प्रदान करता है।
खंड 9: सामान्य निबंधन व शर्तें	सामान्य निबंधन व शर्तें प्रदान करता है।
खंड 10: अनुलग्नक	बोलीदाताओं को अनुलग्नकों के प्रारूप प्रदान करता है।

## 2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), एक सांविधिक संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्णस्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है। राष्ट्रीय आवास बैंक संसद के अधिनियम के अधीन गठित एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है जिसे आवास वित्त क्षेत्र के संवर्धन, विकास एवं विनियमन का कार्य सौंपा गया है।

आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का विनियमन करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनियों में इक्विटी सहभागिता के माध्यम से वित्तीय सहायता एवं शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचाते हुए बैंक, आवास वित्त कंपनी, सहकारी क्षेत्र के संस्थान, आवास एजेंसी इत्यादि जैसे वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सुविधा भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है एवं मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय तथा अहमदाबाद, बंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद व कोलकाता में इसके प्रतिनिधि कार्यालय अवस्थित हैं।

### 3. बोलीदाताओं को अनुदेश

बोलीदाताओं से अपेक्षा का जाती है कि वे बोली दस्तावेजों में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों एवं विनिर्देशों को जांच लें। बोली दस्तावेजों में सभी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न करने पर बोली स्वीकार नहीं की जाएगी एवं यह बोलीदाता के स्वयं के जोखिम पर होगा।

- किसी भी उत्तरदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच कोई बाध्यकारी विधिक संबंध मौजूद नहीं रहेगा जब तक कि संविदात्मक करार का निष्पादन न किया जाय।
- प्रत्येक प्राप्तकर्ता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर(रों) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है। यह आरएफपी दस्तावेज किसी संविदा अथवा करार का हिस्सा नहीं बनेगा जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ता इस दस्तावेज को जारी करने अथवा किसी जांच अथवा समीक्षा क्रियान्वित करे।
- राष्ट्रीय आवास बैंक को आरएफपी का उत्तर देने वाला प्रत्येक प्राप्तकर्ता को यह समझा जाएगा कि उसे इस आरएफपी की शर्तें स्वीकार हैं।
- प्राप्तकर्ता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क सूत्र को भेजें:

एस.के. पाढ़ी उप महाप्रबंधक (आईटी) ईमेल: <a href="mailto:Susanta.padhi@nhb.org.in">Susanta.padhi@nhb.org.in</a> मोबाइल : 9717691287 दूरभाष: 011-39187113;01139187000- एक्स. 1113 फैक्स : +91 - 11 - 24649432	मुनीष भूटानी क्षेत्रीय प्रबंधक (आईटी) ईमेल: <a href="mailto:munish.bhutani@nhb.org.in">munish.bhutani@nhb.org.in</a> मोबाइल : 8130498078 दूरभाष : 011-39187187;01139187000- एक्स 1187 फैक्स : +91 - 11 - 24649432
---	---

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी उत्तरदाता से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं उस उत्तरदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- सभी उत्तरदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध करायें ताकि आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी उत्तरदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण यदि कोई हों, बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व किसी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार अवकाश को छोड़कर) प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे के बीच उपरोक्त संपर्क सूत्रों के साथ

किया जा सकता है।

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी बंद होने के पश्चात किसी प्रत्युत्तर में सुधार करने अथवा स्पष्ट करने के लिए अपने पूर्ण विवेक पर किसी उत्तरदाता (एक से अधिक उत्तरदाता के साथ एक साथ) चर्चा अथवा बातचीत में शामिल कर सकता है।
- वेंडर को किसी भी भारत में सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से काली सूची में डाला गया हो/विवर्जित न किया गया हो।
- बैंक छांटे गये सभी उत्तरदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में जहां तक व्यावहारिक हो, लिखित में, अथवा मेल द्वारा सूचित करेगा अथवा अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करेगा। बैंक ऐसी किसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के कारण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।
- न्यूनतम पात्रता मानदंड अर्हकारी बोलियां विस्तृत मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी एवं उसके उपरांत न्यूनतम पात्रता मानदंड एवं तकनीकी मूल्यांकन दोनों अर्हकारी बोलियां वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी।

### **3.1 बोली पूर्व बैठक**

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में स्पष्ट की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक 24.07.2017 को अथवा उससे पूर्व ईमेल द्वारा अथवा डाक द्वारा उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

### **3.2 निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कापी**

निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> उपलब्ध कराई जाएगी। बोलीदाता को अनुलग्नक 'आई' में दिये गये विवरणानुसार ईसीएस के माध्यम से 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) के अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। भुगतान का प्रमाण संलग्न हो एवं तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखा जाय ऐसा न करने पर बोली के आगे मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

### **3.3 निविदा की गैर हस्तांतरणीयता**

यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

### **3.4 गोपनीयता का बयान**

इस दस्तावेज में जो जानकारी वह राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ट्रेडमार्क युक्त एवं गोपनीय है जिसका बोलीदाता की कंपनीके बाहर विगोपन नहीं किया जाएगा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा अथवा इसके अभीष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए पूर्ण अथवा आंशिक रूप में प्रतिलिपि नहीं बनाई जाएगी, उपयोग नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना इस जानकारी के

पूरे या आंशिक उपयोग या विगोपन निषिद्ध है। प्राप्तकर्ता को आरएफपी दस्तावेज राष्ट्रीय आवास बैंक को प्राप्तकर्ता द्वारा दी गयी गोपनीयता की वचनबद्धता के आधार पर प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी दस्तावेज अथवा इसके किसी हिस्से का अद्यतन अथवा संशोधन कर सकता है। प्राप्तकर्ता यह मानेगा कि ऐसा कोई संशोधित अथवा आशोधित दस्तावेज उक्त निबंधन व शर्तों के अधीन जो इस मूल में है एवं उक्त गोपनीयता वचनबद्धता के अधीन प्राप्त है। प्राप्तकर्ता राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ किसी भी रीति जुड़े अथवा संबद्ध किसी अधिकारी, कर्मचारी, सलाहकार, निदेशक, एजेंट अथवा कोई अन्य व्यक्ति अथवा इसके किसी ग्राहक, आपूर्तिकर्ता अथवा एजेंटों के साथ इस आरएफपी दस्तावेज के विषय का विगोपन नहीं करेगा अथवा चर्चा नहीं करेगा।

### **3.5 बोली की भाषा**

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

### **3.6 प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली**

बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ वास्तविक कीमतों को प्रच्छादित करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जा वास्तविक कीमत की बोली (राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की प्रति प्रस्तुत करेगा। यह अनिवार्य है। वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवा) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से न मिलता हो।

### **3.7 मिटाना अथवा संशोधन करना**

मिटाने अथवा संशोधित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का अंतरालेखन, मिटाना अथवा उपरि लेखन पर बैंक के विवेक पर तभी विचार किया जा सकता है यदि वे उसे बोली में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया हो। हालांकि किसी भी रूप में किसी प्रकार का अंतरालेखन, मिटाना अथवा उपरि लेखन वाणिज्यिक बोली में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। सही तकनीकी जानकारी भरी जाय। जानकारी भरने में 'ठीक है', 'स्वीकार है', 'देख लिया है', 'जैसा ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है' जैसे शब्द स्वीकार्य नहीं हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक इन दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार्य के तौर पर समझेगी। राष्ट्रीय आवास बैंक इस प्रस्ताव में किसी प्रकार के गैर अनुरूपता अथवा मामूली अनियमितता पर अपने विवेक पर छूट दे सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगी एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के पास ऐसे छूट देने के अधिकार सुरक्षित हैं।

### 3.8 बोली वाले दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी समय पर किसी कारण के लिए बोली दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी प्रकार की संवादहीनता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी चरण पर निविदा प्रक्रिया को रद्द करने अथवा छोड़ देने का अधिकार सुरक्षित है।

### 3.9 स्थान/मात्रा में सुधार करने का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास इस निविदा में विनिर्दिष्ट प्रस्तावित स्थान/नों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आवास बैंक के पास इस निविदा में विनिर्दिष्ट सूची से एक अथवा उससे अधिक स्थान/नों को जोड़ने/हटाने का अधिकार भी सुरक्षित है।

### 3.10 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज

- बोली में दो प्रस्ताव यथा तकनीकी प्रस्ताव एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव शामिल है।
- तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:
  - ऐसे दस्तावेजों साक्ष्य जो यह सिद्ध करे कि बोलीदाता बोली लगाने का पात्र है एवं सुविदा का कार्य निष्पादन करने यानि अनुलग्नक 'डी' के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदंड के लिए अर्हता प्राप्त है।
  - अनुलग्नक 'एफ' के अनुसार तकनीकी बोली। कीमत से युक्त कोई तकनीकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
  - राष्ट्रीय आवास बैं को किया गया 5000/- रुपये (अप्रतिदेय) के ई भुगतान का प्रमाण।
  - राष्ट्रीय आवास बैं को किया गया 200,000/- रुपये (प्रतिदेय) के ई भुगतान का प्रमाण।
  - न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली, प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली की सॉफ्ट कॉपी।
  - कीमत का उल्लेख किये बिना सभी घटकों की प्रच्छादित कीमत बोली की सूची जैसा वाणिज्यिक बोली में सूचीबद्ध है।
  - आरएफपी लागत एवं धरोहर राशि के बिना बोलिया अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- वाणिज्यिक बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:
  - पूरी वाणिज्यिक बोली, अनुलग्नक 'एच' के अनुसार प्रावरण पत्र के साथ अनुलग्नक 'जी' के अनुसार
  - किसी प्रकार के विषयांतर अथवा एक जैसे खंडों से युक्त मूल्य की वाणिज्यिक बोली की सॉफ्ट कॉपी सरसरी तौर पर अस्वीकार की जा सकती है।

- कोई अन्य जानकारी अलग अनुलग्नक में प्रस्तुत की जा सकती है।

### **3.11 बोली की मुद्रा**

बोलियां केवल रूपये में ही उद्धृत की जाय।

### **3.12 धरोहर राशि (ईएमडी)**

- सभी प्रतयुत्तर राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 200,000 रूपये (दो लाख रूपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त जमानत धनराशि से युक्त हों।  
खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र.सं.	प्रकार	ब्योरा
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर 5 ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBHY0020511
8	एमआईसीआर सं.	110004005

- भुगतान का प्रमाण संलग्न करें एवं तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखें ऐसे न करने पर बोली के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को ईसीएस मेनडेट फार्म प्रस्तुत करना भी आवश्यक है यथा अनुलग्नक -I. में संलग्न है।
- यथोचित स्वरूप एवं रीति में बिना धरोहर राशि की कोई भी बोली पर अनुत्तरदायी मानी जाएगी एवं अस्वीकार कर दी जाएगी।
- धरोहर राशि से छूट के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सभी असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि बोली प्रक्रिया पूरी के होने पर वापस कर दी जाएगी।
- इस आरएफपी की शर्तों के अनुसार सेवा स्तरीय करार (एसएलए) के निष्पादन करने एवं कुल संविदा मूल्य (कृपया अनुलग्नक 'एच' की कुल लागत 'एक्स' का संदर्भ लें) की 10 प्रतिशत की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के पश्चात सफल बोलीदाता को धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।

**vii.** निम्नलिखित कारणों से धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी:

- यदि बोलीदाता बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है।
- यदि बोलीदाता कोई ऐसा कथन करता है अथवा प्रपत्र संलग्न करता है जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी समय पर झूठे/गलत पाये जाते हैं।
- सफल बोलीदाता के मामले में यदि बोलीदाता संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है।

### **3.13 कार्य-निष्पादन गारंटी**

चयनित बोलीदाता को परियोजना की कुल लागत (कृपया अनुलग्नक 'एच' की कुल लागत 'एक्स' का संदर्भ लें) के 10 प्रतिशत की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में कार्य निष्पादन गारंटी (अनुलग्नक 'एम' में प्रारूप) प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। यह कार्य निष्पादन गारंटी संविदा अवधि की समाप्ति यानि पांच वर्ष से अधिक कम से कम तीन माह तक वैध होनी चाहिए। यदि आरएफपी के शर्तों के अनुसार संविदा अवधि बढ़ाई जाती है तो उक्त को बढ़ायाजाना आवश्यक है। यह पीबीजी सफल बोलीदाता द्वारा श्रम कानून एवं अन्य कानून/नियम/विनियम सहित लागू सांविधिक उपबंधों के गैर अनुपालन सहित आरएफपी के निबंधन/नों में गैर कार्य-निष्पादन अथवा व्यतिक्रम के जोखिम के प्रति राष्ट्रीय आवास बैंक के हित की रक्षा के लिए आवश्यक है। संविदा की शर्तों के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन में व्यतिक्रम होने के कारण पीबीजी के अवलंब को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है एवं यदि सलाहकार के किसी कार्य के परिणामस्वरूप निर्णीत हर्जाना/दंड लगाया जाता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास प्रस्तुत बैंक गारंटी का अवलंब लेने का अधिकार सुरक्षित है।

### **3.14 बोलियों की वैधता की अवधि**

- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्य एवं अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तिथि से छ माह की स्वीकार्यता अवधि तक वैध हो।
- अपवादस्वरूप परिस्थितियों में बैंक अपने विवेक पर वैधता अवधि के विस्तार के लिए बोलीदाताओं की सहमति मांग सकता है। तत्संबंधी अनुरोध एवं प्रत्युत्तर लिखित में करने होंगे। बोली के प्रति प्रदान की जाने वाली जमानत राशि भी बढ़ाई जाएगी।

### **3.15 बोलियों का प्रारूप एवं हस्ताक्षर करना**

प्रत्येक बोली निम्नलिखित दो भागों में होगी:

- भाग I: न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली एवं प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली (बिना किसी कीमत वाली बोलियों)। उपरोक्त विषय को 'तकनीकी प्रस्ताव' के तौर पर संदर्भित किया जाएगा।
- भाग II: केवल वाणिज्यिक बोली इसे 'वाणिज्यिक प्रस्ताव' के तौर पर संदर्भित किया जाएगा।
- मूल बोली टंकित हो अथवा अमिट स्याही से लिखी गयी हो एवं बोलीदाता द्वारा अथवा बोलीदाता द्वारा अनुबंध के लिए विधिवत प्राधिकृत बाध्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित हो। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तिगण अशोधित मुद्रित साहित्य के सिवा, बोलियों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करेगा।

### **3.16 बोलियों पर मुहर लगाना एवं चिह्नांकन करना**

- लिफाफा निम्नलिखित पते पर बैंक को संबोधित हो:  
उप महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5 ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
- सभी लिफाफो पर बोलीदाता के नंबर के साथ नाम व पते का उल्लेख किया गया हो।
- बोलीदाता को तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव से युक्त लिफाफे अलग-अलग मुहरबंद करने होंगे।
- लिफाफे नॉन-विंडो होने चाहिए एवं 'एसएपी ईआरपी कार्यपरक मॉड्यूल की सहायता हेतु तकनीकी प्रस्ताव' एवं 'एसएपी ईआरपी कार्यपरक मॉड्यूल की सहायता हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव' यथा लागू अलग-अलग लिखे होने चाहिए।
- यदि लिफाफा मुहरबंद एवं चिह्नांकित नहीं है तो बैंक बोलियों के इधर-उधर होने अथवा इसके पहले की खुलने की जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- यथोचित ढंग से मुहरबंद न की गई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं बिना कार्यवाही के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

### **3.17 बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा**

- बोलियां बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व विनिर्दिष्ट पते यथा उपरोक्त पर बैंक में पहुंच जानी चाहिए।
- बोलियां प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट तिथि को बैंक के अवकाश घोषित होने की दशा में बोलियां आगामी कार्य दिवस को नियत समय तक प्राप्त की जाएगी।
- बैंक अपने विवेक पर बोली दस्तावेज में संशोधित करते हुए बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है ऐसे मामले में बैंक व बोलीदाताओं के सभी अधिकार एवं दायित्व पहले की समय-सीमा के अधीन होंगे एवं उसके बाद बढाई गयी समय सीमा के अधीन होंगे।

### **3.18 देर से प्राप्त होने वाली बोलियां**

बैंक को यदि कोई बोली बैंक द्वारा निर्धारित बोलियों की प्रस्तुति की समय-सीमा के पश्चात प्राप्त होती है तो बैंक द्वारा अस्वीकार कर दी जाएगी एवं उसे बोलीदाता को बिना खोले ही वापस कर दिया जाएगा।

### **3.19 बोलियों का संशोधन एवं/अथवा वापस लेना**

- बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने के पश्चात अपनी बोली का संशोधन कर सकता है अथवा वापस ले सकता है परंतु शर्त यह है कि बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व बैंक को बोलियों के प्रतिस्थापन अथवा वापस लेने सहित संशोधन की लिखित में सूचना प्राप्त हो।

- बोलीदाता के संशोधन अथवा वापस लेने की सूचना तैयार, मुहरबंद, चिह्नंकित एवं डाक द्वारा भेजी गयी हो। बोली वापस लेने की सूचना फैक्स द्वारा भी भेजी जा सकती है लेकिन उसके पश्चात बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व हस्ताक्षरित पुष्टिकरण प्रति, डाक द्वारा भेजा जाना आवश्यक है।
- बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा के पश्चात कोई बोली संशोधित नहीं की जा सकेगी।
- बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा एवं बोली प्रपत्र में बोलीदाता द्वारा विनिर्दिष्ट बोली वैधता अवधि की समाप्ति के बीच में अंतराल में बोली वापस नहीं ली जा सकेगी। इस अंतराल के दौरान बोली वापस लेने के कारण बोलीदाता की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
- बैंक के पास बिना कारण बताये जो भी हों, किसी अथवा सभी निविदायें निरस्त करने का अधिकार है। बैंक किसी भी कारण से जो भी हों, बोली दस्तावेज प्राप्त न होने/न सौंपे जाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

### **3.20 बैंक द्वारा बोलियां खोलना**

- निर्धारित तिथि व समय पर बोलीदाता के प्रतिनिधि जो विनिर्दिष्ट तिथि को बैठक में भाग लेंगे की उपस्थिति में बैंक समिति द्वारा बोलियां खोली जाएंगी।
- बोलीदाता का नाम एवं अपेक्षित ईएमडी, आरएफपी लागत एवं ऐसे अन्य विवरण जो बैंक अपने विचार में समुचित समझे की मौजूदगी अथवा न होने की घोषणा तकनीकी बोली खोलने के समय पर की जाएगी।

### **3.21 बोलियों का स्पष्टीकरण**

बोलियों के मूल्यांकन के दौरान बैंक अपने विवेक पर बोलीदाता से अपनी बोलियों के स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण का अनुरोध एवं प्रत्युत्तर लिखित (फैक्स/ईमेल) में होगा एवं बोली की विषय-वस्तु में किसी प्रकार के परिवर्तन की मांग, प्रस्ताव अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी।

### **3.22 प्रारंभिक जांच**

- बैंक बोलियों का निर्धारण करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरे हैं, दस्तावेज यथोचित ढंग से हस्ताक्षरित हैं, समर्थित कागजात/दस्तावेज संलग्न हैं एवं बोलियां क्रम में लगी हुई हैं।
- बैंक अपने विवेक पर बोली में किसी प्रकार की मामूली अनियमितता से छूट दे सकता है जिसे विषय वस्तु में व्यतिक्रम न समझा जाए परंतु ऐसी छूट से पूर्वाग्रह अथवा किसी बोली दाता की सापेक्ष रैंकिंग प्रभावित न हो।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

### **3.23 प्रस्ताव का स्वामित्व**

वेंडरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं सभी सहायक दस्तावेजीकरण राष्ट्रीय आवास बैंक की संपत्ति बन जाएगी जब तक कि राष्ट्रीय आवास बैंक लिखित में वेंडर के ऐसे विनिर्दिष्ट अनुरोध/धों पर सहमत न हो कि प्रस्ताव एवं दस्तावेजीकरण वापस किए जायं अथवा नष्ट कर दिये जायं।

### 3.24 बोलीदाताओं को अनुरोध

बोलीदाता बैंक द्वारा सौंपे गये कार्य को किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा एवं बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों पर अपने स्वयं की सेवा/सहायक बुनियादी ढांचे के माध्यम से ही ध्यान देगा।

### 3.25 कीमत के संघटक एवं फेरबदल

- वेंडर अनुलग्नक 'एच' में प्रदान की संरचना के अनुसार स्पष्ट तौर पर कड़ाई से लागत मेट्रिक्स प्रस्तुत करो। किसी प्रकार के विषयांतर होने पर बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्यिक बोली के अनुसार के अतिरिक्त कोई विकल्प उद्धृत न हो। जहां भी विकल्प दिये गये हों ऐसी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव स्थिर कीमत के आधार पर होगा। सौंपे गये किसी संविदा अवधि के दौरान कार्य के लिए करों (वर्तमान एवं भावी) के अलावा परामर्श कार्य की लागत के संबंध में कीमत की भिन्नता पर विचार नहीं किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि कार्य शुरू करने की तिथि होगी। सहायक सेवा इत्यादि के नवीनीकरण के लिए वही तिथि मानी जाएगी यदि लागू हो।

### 3.26 आदेश का निरस्तीकरण

- आदेश का निरस्तीकरण; सलाहकार की तैनाती में दो सप्ताह से अधिक की देरी होने पर बैंक के पास बैंक के विवेक पर क्रय आदेश निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। विस्तृत संदर्भ के लिए कृपया जे.1.ए का संदर्भ लें।

### 3.27 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

वेंडर के पास इस परियोजना के अंतर्गत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समुचित एवं पर्याप्त सहायक तंत्र होना चाहिए।

### 3.28 नियमावली एवं आरेख

वेंडर संविदा अवधि के दौरान आपूर्ति सेवाओं के लिए पूरी तकनीकी एवं अन्य दस्तावेजीकरण उपलब्ध कराएगा। सभी नियमावली अंग्रेजी में होगी एवं आपूर्ति सेवाओं का स्पष्ट तौर पर उल्लेख हो।

### 3.29 बोली (बिड) का मूल्यांकन

- बैंक बोलियों के मानकीकरण एवं बोलियों के मूल्यांकन के लिए बाहरी सलाहकार की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है।
- अपनाये जाने वाला प्रस्तावित मूल्यांकन मानदंड आरएफपी की शर्तों के अनुसार गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस) होगी
- बोली मूल्यांकन की विस्तृत कार्यपद्धति एवं बोलीदाता का चयन खंड 7 में दर्शाया गया है।

- अंक संबंधी त्रुटियों का सुधार:
  - मूल्य के विवरण प्रारूप में अंक संबंधी त्रुटियां यदि कोई हों, को निम्नलिखित आधार पर सुधारा जाएगा:
    - यदि इकाई कीमत एवं कुल कीमत के बीच अंतर पाया जाता है जो इकाई कीमत को मात्रा से गुणा करके आता है तो इकाई कीमत अभिभावी होगा एवं कुल मूल्य को सही किया जाएगा जब तक कि आंकड़ा कम न हो। यदि बोलीदाता त्रुटियों के सुधार को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
    - यदि अंकों एवं शब्दों में उद्धृत इकाई कीमत एवं इकाई मूल्य यथास्थिति अंकों में अथवा शब्दों में अंतर पाया जाता है तो जो मद के कुल बोली मूल्य से मेल खाता है उसे सही माना जाएगा।
    - यदि वेंडर ने कुल बोली कीमत नहीं दर्शाई है अथवा शब्दों या अंकों में उद्धृत इकाई कीमत कुल बोली कीमत से मेल नहीं खाता है तो शब्दों में उद्धृत इकाई कीमत को सही माना जाएगा।
    - बैंक बोली की मामूली गलती अथवा गैर अनुरूपता अथवा अनियमितता को माफ कर सकता है जो सामग्री में विषयांतर न करे परंतु ऐसी माफी में पूर्वाग्रह अथवा किसी बोलीदाता का संबंध सूचक प्रभाव न हो।
    - यदि अंकों में उद्धृत कीमत एवं शब्दों में उद्धृत कीमत मेल ना खाए तो शब्दों में उल्लिखित आंकड़े को अंतिम माना जाएगा।

### **3.30 संशोधन एवं वापसी**

एक बार जब बोलियां प्रस्तुत कर दी जाएं तो उसे अंतिम माना जाएगा एवं इस पर बाद के पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा के पश्चात बोली में संशोधन नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### **3.31 कीमतों का प्रकटन**

वाणिज्यिक बोली के सिवाय तकनीकी बोली अथवा बोली के किसी हिस्से में किसी स्वरूप में अथवा किसी कारण से कीमतों का विगोपन न किया जाए ऐसा न करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

### **3.32 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें**

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

### **3.33 स्थानीय परिस्थितियां**

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

### **3.34 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना**

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

### **3.35 प्रस्ताव की सामग्री**

वेंडरों के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में वेंडर की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

### **3.36 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये आपूर्तिकर्ता**

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाय।

### **3.37 कानूनों का अनुपालन**

- i.** सलाहकार को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित रखना, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- ii.** सलाहकार ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की

अवधि के दौरान उसे बैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानि रहित रखना, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

- iii. यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत सलाहकार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### **3.38 बौद्धिक संपदा अधिकार**

- i. सफल बोलीदाता को यह विश्वास दिलाना होगा कि उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे। चयनित सलाहकार को यह विश्वास दिलाना होगा कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- ii. ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं चयनित सलाहकार अपनी इच्छा अथवा खर्च पर (क) राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार अधिप्राप्त करेगा, (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रिया कलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार अधिप्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं चयनित सलाहकार को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्त समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय आवास बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी चयनित सलाहकार दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि राष्ट्रीय आवास बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।
- iii. इस खंड में वर्णित क्षतिपूर्ति की बाध्यता केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जब क्षतिपूर्ति पक्ष क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष को ऐसे दावों का अविलंब लिखित में नोटिस प्रदान करे, क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष को ऐसे दावों का बचाव करने, प्रबंध करने, बातचीत करने अथवा निपटाने का पूरा अधिकार प्रदान करे एवं दावों (क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के खर्च पर) का बचाव करने में हर संभव सहायता उपलब्ध कराये। उपरोक्त के होते हुए भी कोई भी पक्ष किसी निपटारे अथवा समझौते

कराने में अथवा इस तरह जिसमें आवश्यक होगा कि क्षतिपूरित पक्ष को क्षतिपूरित पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी प्रकार के भुगतान करे अथवा कोई अन्य मूल दायित्वों का वहन करे, में सहमत कराने के लिए अधिकृत नहीं है। इस खंड में वर्णित क्षतिपूर्ति की बाध्यता इस प्रकार के संबोधित मामलों के लिए पक्षों की संविदा मूल्य की देयता को दर्शाते हैं।

- iv. सफल बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है अतः इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी में परिकल्पित है, से विधिवत समर्थित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।


### 3.39 झूठा/अधूरा विवरण

निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों ) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

- क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल धरोहर राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो यथोचित कार्रवाई यथा बैंक द्वारा विनिश्चित है, लागू होगी।

## 4. वर्तमान व्यवस्था

1. बैंक में एसएपी के मौजूदा कार्यान्वयन का सिंहावलोकन का उल्लेख नीचे किया गया है।



बैंक ने बैंक सभी प्रचालनों को शामिल करने के लिए एसएपी (आर/3ईसीसी 6.0) कार्यान्वित की है। इस अनुप्रयोग को पश्च सिरे (बैंकएंड) डेटाबेस के तौर पर एसक्यूएल सर्वर-2005 के साथ विंडो सर्वर में परिनियोजित किया गया है। डाटा सेंटर (डीसी) में कार्यान्वित मौजूदा प्रणालियों के विनिर्देश निम्नानुसार हैं:

अधिष्ठापन	ओएस/ हार्डवेयर/डीबी का विशिष्ट विवरण	प्रयुक्त सर्वरों की संख्या
सोल्यूशन मैनेजर	डेल पावरएज 720 1 यूरैक सर्वर,	1
आईडीईएस	विंडोज 2008 सर्वर, एसक्यूएल सर्वर	1
टेस्ट सर्वर	2005 सर्विस पैक 3	1
ईआरपी-विकास		1
ईआरपी-गुणवत्ता		1
ईसीसी 6.0		
ईएचपी7		
ईआरपी-उत्पादन		4
ईसीसी 6.0		
ईएचपी2		
ईएसएस-विकास		1
ईसीसी 6.0		
ईएचपी7		
ईएसएस-उत्पादन		1
वेब सर्वर		1
ईआरपी-उत्पादन		2
ईएसएस-उत्पादन		1
वेब सर्वर		1
एसएपी बीडब्ल्यू प्रणाली (उत्पादन, गुणवत्ता, विकास)	आईबीएम ब्लेड सर्वर एचएस22, एसक्यूएल सर्वर 2012	3
एसएपी टेस्ट सर्वर		1
<b>कुल सर्वर</b>		<b>20</b>

**सोल्यूशन मैनेजर** – एसएपी सोल्यूशन मैनेजर केंद्रीकृत प्रणाली प्रबंधन समूह है जो एसएपी प्रणालियों के प्रबंधन को केंद्रीकृत करता है। एसएपी सोल्यूशन मैनेजर एसएपी प्रणालियों के प्रबंधन को बढ़ाने, स्चालन एवं सुधार लाने की सुविधा प्रदान करता है। एसएपी सोल्यूशन मैनेजर केंद्रीय प्रणाली प्रशासन, परियोजना प्रबंधन, अधिष्ठापन समाधान, समय पर निगरानी की सूचना देना, प्रबंधन में बदलाव, सपोर्ट पैक एवं टिप्पणी प्रबंधन कार्यक्षमता जैसी

समस्याओं का समाधान करता है। यह प्रणाली एकल सर्वर पर कार्यान्वित की जाती है।

**एसएपी राऊटर**— एसएपी राऊटर एक एसएपी प्रोग्राम है जो एसएपी प्रणालियों के बीच अथवा एसएपी प्रणालियों एवं बाहरी नेटवर्कों के बीच नेटवर्क कनेक्शन में मध्यवर्ती स्टेशन (प्रॉक्सी) के तौर पर कार्य करता है। एसएपी राऊटर का उपयोग नेटवर्क पर राष्ट्रीय आवास बैंक की एसएपी सेवाओं की पहुंच के लिए किया जाता है। एसएपी राऊटर किसी संगठन एवं एसएपी बाजार स्थल के बीच अंतराफलक के तौर पर काम करता है। यह सलाहकारों द्वारा स्थलेतर सहायता के दौरान एसएपी प्रणालियों पर सुरक्षित रूप से और दूरस्थ रूप से काम करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली सोल्यूशन मैनेजर बॉक्स पर क्रियान्वित की जाती है।

**इंटरनेट निरूपण एवं मूल्यांकन प्रणाली (ईडीईएस)**— इस प्रणाली में मॉडल डाटा शामिल है एवं इसका इस्तेमाल निरूपण के लिए किया जाता है व विभिन्न एसएपी सोल्यूशन की कार्यक्षमता दर्शाता है। आईडीईएस प्रणाली पूर्वविन्यस्त डेटा/ग्राहकों के आधार पर डेमो, आत्म अध्ययन अथवा कार्यापरक मूल्यांकन/परीक्षण में सहायता करती है। इन प्रणालियों का इस्तेमाल आंतरिक प्रशिक्षण एवं अनुकरण के लिए किया जाता है। यह प्रणाली एकल सर्वर पर क्रियान्वित की जाती है।

**टेस्ट सर्वर**— यह प्रणाली उत्पादन डेटा के अनुकरण परीक्षण करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रणाली का इस्तेमाल परीक्षण परिदृश्य में भी किया जाता है जैसे सपोर्ट पैक का परीक्षण करने के लिए पोस्ट पैच कार्यान्वयन प्रभाव एवं प्रणाली परिदृश्य पर परीक्षा लेने से पूर्व कार्यान्वयन को नोट करना। यह प्रणाली एकल सर्वर पर क्रियान्वित की जाती है।

**सिस्टम लैंडस्केप**— एसएपी लैंडस्केप में विकास सर्वर, गुणवत्ता सर्वर, उत्पादन सर्वर शामिल होता है।

**विकास सर्वर**— इस प्रणाली का इस्तेमाल अनुकूलन एवं विन्यास प्रबंधन गतिविधियों के लिए किया जाता है। सलाहकारों द्वारा इस प्रणाली का इस्तेमाल परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से मूल रूप से ग्राहकों की अपेक्षाओं के विकास एवं अनुकूलन के लिए किया जाता है। सभी प्रकार के परिवर्तन इस सर्वर से शुरू होते हैं। इस सर्वर में तीन ग्राहक (क्लाइंट) यथा एकीकरण परीक्षण के लिए 100, सैंड बॉक्स के तौर पर 110 एवं गोल्डन क्लाइंट के तौर पर 120 होते हैं। सैंड बॉक्स ग्राहक का इस्तेमाल परिदृश्य एवं विन्यास परीक्षण के लिए किया जाता है जबकि गोल्डन क्लाइंट में केवल विन्यास शामिल होता है जो गुणवत्ता सर्वर तक पहुंचाई जाती है एवं इससे किसी प्रकार के कार्य संपादन करने की अपेक्षा नहीं होती है। यह प्रणाली एकल सर्वर पर क्रियान्वित की जाती है।

**गुणवत्ता सर्वर**— इस सर्वर का इस्तेमाल सलाहकारों द्वारा तैयार अनुकूलन एवं परिदृश्य की परीक्षण के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आवास बैंक के सभी अधिकारियों को इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित अधिकार प्रदान किये गये जाते हैं। सफल परीक्षण के पश्चात अनुकूलन परिवर्तन उत्पादन सर्वर की ओर भेजा जाता है। इस सर्वर में दो ग्राहक (क्लाइंट) यथा एकीकरण परीक्षण के तौर पर 200 एवं उत्पादन – पूर्व के तौर पर 210 होते हैं। यह प्रणाली एकल सर्वर पर क्रियान्वित की जाती है।

**उत्पादन सर्वर**—कारोबार परिचालन के लिए यह सर्वर मुख्य सर्वर प्रणाली होती है। राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारीगण इस सर्वर का इस्तेमाल वित्त (पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त), कोषागार, मानव संसाधन, सामग्री प्रबंधन इत्यादि जैसे व्यावहारिकताओं के लिए करते हैं। इस सर्वर में एक ग्राहक (300) होता है। यह प्रणाली केंद्रीय दृष्टांत अनुप्रयोग एवं दो अलग-अलग समूहों जिसमें प्रत्येक समूह में दो सर्वर होते हैं, पर डेटाबेस के साथ चार सर्वरों पर क्रियान्वित की जाती है।

**उद्यम पोर्टल – विकास सर्वर** – यह कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) उद्यम पोर्टल सर्वर होता है जो वेतन, प्रतिपूर्ति, दावे, छुट्टी, यात्रा प्रबंधन व्यावहारिकता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। सलाहकारों द्वारा इस सर्वर का इस्तेमाल अनुकूलन गतिविधियों के लिए किया जाता है। सभी परीक्षित विन्यास बाद में ईपी-उत्पादन सर्वर को भेजे जाते हैं। यह प्रणाली एकल सर्वर पर क्रियान्वित की जाती है एवं ईआरपी-गुणवत्ता सर्वर को खाका तैयार करती है।

**उद्यम पोर्टल – उत्पादन सर्वर** – यह मुख्य ईएसएस पोर्टल सर्वर होता है राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारीगण जिसका इस्तेमाल वेतन देखने, प्रतिपूर्ति के दावे, छुट्टी के अनुरोध, यात्रा प्रबंधन इत्यादि के लिए करते हैं। यह प्रणाली एकल सर्वर पर क्रियान्वित की जाती है एवं ईआरपी-गुणवत्ता सर्वर को खाका तैयार करती है।

**वेब सर्वर** – यह सर्वर इंटरनेट पर एसएपी प्रणालिया एवं के इंटरनेट को कनेक्ट करने के गेटवे के तौर पर कार्य करती है। यह प्रणाली सुरक्षित पहुंच के लिए डीएमजेड नेटवर्क जोन पर स्थापित की जाती है। एसएपी निर्दिष्ट प्रणालियां (ईआरपी उत्पादन एवं ईएसएस उत्पादन सर्वर) तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा जाता है एवं उक्त की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के डोमेन पर अपेक्षित मानचित्रण सृजित किया गया है। इस पहुंच के लिए प्रयुक्त सार्वजनिक आईपी वेब सर्वर के आंतरिक पते को चित्रित किया गया है।

**बीआई/बीडब्ल्यू/बीओ सर्वर** – बैंक ने बीआई/बीडब्ल्यू एवं बीओ लाइसेंस खरीदा है एवं कार्यान्वित किया है। ईसीसी उत्पादन डाटा प्रतिदिन बीआई/बीडब्ल्यू सर्वर को भेजा जाता है। वर्तमान में इसे प्रमुख संगठनात्मक कार्य निष्पादन डाटा के दृष्टिगत प्रतिनिधित्व करने वाले कारोबारी आसूचना डेशबोर्ड तैयार करने के लिए विन्यस्त नहीं किया गया है।

**स्क्रीन छवि** – यह एसएपी प्लेटफार्म से एकीकृत होती है जो उपयोगकर्ताओं को प्रक्रिया के प्रवाह को प्रभावित किये बिना अपनी अपेक्षाओं एवं सुविधा के अनुसार अपने एसएपी पटल को निजीकृत एवं अनुकूलित करने में समर्थ बनाती है।


**कार्य कार्य-निष्पादन कर्ता** – एसएपी डब्ल्यूपीबी प्रणाली का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों को ज्ञान स्थानांतरित करने एवं आंतरिक अनुप्रयोग मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का साधन होता है। इससे संवादात्मक अनुकरण एवं परीक्षण, उपयोगकर्ता दस्तावेजीकरण एवं संदर्भ सुग्राही सहायता जैसे प्रशिक्षण विषय तैयार एवं परिनियोजित किया जाता है।

**सिक््युरिटी वीवर**- बैंक अभिशासन, जोखिम एवं अनुपालन प्रबंधन (जीआरसीएम) उत्पाद का इस्तेमाल कर रहा है जिसे मैसर्स वीवर उपलब्ध कराता है यानि रीसेट पासवर्ड, प्राधिकरण सहायता, प्रक्रिया लेखा परीक्षक एवं

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एसएपी ईआरपी कार्यपरक मॉड्यूल्स की सहायता: राष्ट्रीय आवास बैंक

लेन=देन पुरालेखा

डीआर करार



वर्तमान में डीसी एवं डीआर के बीच लॉग शिपिंग के माध्यम से वास्तविक टाइम डाटा प्रतिरूप होता है।

आपदा बहाली स्थल (डीआर) पर कार्यान्वित मौजूदा प्रणाली विनिर्देश निम्नानुसार हैं:

अधिष्ठापन	ओएस/ हार्डवेयर/डीबी का विशिष्ट विवरण	प्रयुक्त सर्वरों की संख्या
ईआरपी-उत्पादन डीआर	डेल पावरएज 610 1 यूरेक सर्वर, विंडोज 2008 सर्वर, एसक्यूएल सर्वर 2005 सर्विस पैक 3	2
ईएसएस-उत्पादन		1
वेब सर्वर	डेल पावरएज 720 1 यूरेक सर्वर, विंडोज 2008 सर्वर, एसक्यूएल सर्वर 2005 सर्विस पैक 3	1

बैंक में एसएपी के कार्यान्वयन में निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल हैं:

- **वित्त एवं नियंत्रण (एफआई/सीओ)** - इसमें दो उप-मॉड्यूल यथा 'कार्पोरेट वित्त प्रबंधन (सीएफएम) एवं 'उपभोक्ता बंधक ऋण (सीएमएल) शामिल हैं
  - **कार्पोरेट वित्त प्रबंधन (सीएफएम)**; इसमें तीन कारोबारी क्षेत्र यथा 'वित्तीय लेखांकन', 'संसाधन परिचालन' एवं 'कोषागार परिचालन' शामिल है।

- **कार्पोरेट बंधक ऋण (सीएमएल);** इसमें तीन कारोबारी क्षेत्र यथा 'परियोजना वित्त' एवं 'पुनर्वित्त परिचालन' शामिल है।
- **मानव संसाधन विकास (एचआरडी)** – एचआर मॉड्यूल में पेरोल, प्रतिपूर्ति, छुट्टी खाता अनुरक्षण, प्रशिक्षण एवं यात्रा प्रबंधन शामिल है। पूरा अनुकूलन एसएपी के 'मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)' मॉड्यूल के माध्यम से किया जाता है। हालांकि वर्तमान में केवल पेरोल एवं प्रतिपूर्ति मॉड्यूल ही विद्यमान हैं।
- **कर्मचारी स्वयं सेवा (एसएपी ईपी के माध्यम से)** – यह कर्मचारी पोर्टल कर्मचारियों को वेतन, प्रतिपूर्ति, छुट्टी एवं यात्रा का विवरण इत्यादि देखने की व्यवस्था करता है।
- **सामग्री प्रबंधन (एमएम)** – यद्यपि बैंक ने एसएपी एमएम मॉड्यूल खरीदा है लेकिन बैंक में अभी कार्यान्वित किया जाना है।
- **एसएपी सोल्यूशन मैनेजर** – बैंक में पूरे परिदृश्य के घटना प्रबंधन एवं केंद्रीय निगरानी के लिए सोलमेन का इस्तेमाल किया जाना है।
- **बीबडल्यू/बीओ मॉड्यूल** – इस मॉड्यूल का बैंक के एसएपी उत्पादन के डैशबोर्ड रीप्रजेन्टेशन के लिए किया जाना है।

#### एसएपी लाइसेंस

क्र.सं.	मॉड्यूल्स	गुणवत्ता
1.	ईआरपी	124 उपयोगकर्ता लाइसेंस 1 विकासक लाइसेंस
2.	ईएसएस	200 उपयोगकर्ता लाइसेंस
3.	पेरोल उपयोगकर्ता	300 उपयोगकर्ता लाइसेंस
4.	ऋण	ऋणों की 7048 संख्या
5.	बीआई/बीओ	

#### 5. कार्यक्षेत्र

परिकल्पित कार्यक्षेत्र का विवरण की गणना निम्नानुसार है। इस आरएफपी के विषय के आधार पर चयनित सफल बोलीदाता से अपेक्षित होगा कि वह राष्ट्रीय आवास बैंक के अनुकूल विश्व स्तरीय स्वीकार्य मानकों एवं बेहतर प्रथाओं पर आधारित कार्यपद्धति पर स्वतंत्र रूप से लक्ष्य प्राप्त करे। राष्ट्रीय आवास बैंक स्पष्ट तौर पर उल्लेख करता है कि इस आरएफपी के तहत सफल बोलीदाता का चयन इस समझ पर आधारित है कि इस कार्यक्षेत्र में पूरे निर्दिष्ट कार्य (समनुदेशन) के प्रमुख उपलब्ध ही शामिल हैं। सफल बोलीदाता से अपेक्षित है कि वह ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन करने, अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति बिना किसी अतिरिक्त लागत के

ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने जो पूरे निर्दिष्ट कार्य (समनुदेशन) को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक हो, का वचन दे।

### 5.1 विस्तृत कार्यक्षेत्र

1. इस कार्यक्षेत्र में राष्ट्रीय आवास बैंक में कार्यान्वित निम्नलिखित मॉड्यूल की सहायक गतिविधियां शामिल हैं (प्रत्येक मॉड्यूल के लिए कार्यान्वित प्रक्रिया का विवरण अनुलग्नक ए में दिया गया है)।
  - (क) एसएपी एफआईसीओ  
सीएफएम  
सीएमएल
  - (ख) एसएपी एमएम
  - (ग) एसएपी एचसीएम
  - (घ) उद्यम पोर्टल के माध्यम से एसएपी ईएसएस/एमएसएस
  - (ङ) एसएपी सोल्यूशन मैनेजर
  - (च) एसएपी बीडब्ल्यू एवं बीओ
  - (छ) एसएपी ईडीईएस
2. सफल बोलीदाता अलग-अलग चरणों में एसएपी की मौजूदा समस्याओं का समाधान करने एवं निर्धारित समय=सीमा जो बैंक तय करे, के भीतर नई अपेक्षाओं पर ध्यान देने के लिए जिम्मेदार होगा। कारोबारी अपेक्षाओं की विस्तृत सूची (लेकिन सीमित नहीं) के लिए कृपया अनुलग्नक – 'के' - कार्यपरक अपेक्षा विनिर्देश एवं अनुलग्नक 'एल' – तकनीकी अपेक्षा विनिर्देश का संदर्भ लें।
3. प्रस्तावित सहायक कार्यक्षेत्र में राष्ट्रीय आवास बैंक के निम्नलिखित कार्यालय शामिल हैं:
  - प्रधान कार्यालय – दिल्ली
  - मुंबई कार्यालय
4. सफल बोलीदाता परियोजना प्रारंभ होने के पश्चात निम्नलिखित तालिकानुसार एसएपी एफआईसीओ, एसएपी एमएम, एसएपी एचसीएम, एसएपी बीडब्ल्यू/बीओ एवं एसएपी ईपी जैसे प्रत्येक मॉड्यूल के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक में समर्पित स्थलीय सलाहकार उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।

क्र.सं.	मॉड्यूल्स	अपेक्षित स्थलीय श्रम दिवस
1.	सीएफएम एवं सीएमएल के अनुभव युक्त एसएपी एफआईसीओ*	पूरा श्रम माह
2.	एसएपी एचसीएम	माह में 10 दिन
3.	एसएपी बेसिस	माह में 5 दिन
4.	एसएपी बीडब्ल्यू/बीओ	माह में 10 दिन
5.	एसएपी एमएम	माह में 10 दिन
6.	एसएपी ईपी	माह में 10 दिन

- समय पर समस्या का समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए सलाहकार/सहायता दल दिल्ली=एनसीआर में से होना चाहिए।
  - यदि चयनित बोलीदाता सीएफएम एवं सीएमएल अनुभव वाले एफआईसीओ सलाहकार उपलब्ध करने में समर्थ नहीं होता है तो यह कार्य बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक से अधिक सलाहकारों को सौंपी जा सकती है।
  - स्थल में तैनात सलाहकार के पास संबंधित विषय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
5. मांग पर आधारित स्थलीय सहायता के लिए सफल बोलीदाता को अनुरोध करने के 7 दिनों के भीतर बैंक के विनिर्दिष्ट स्थान (या तो दिल्ली कार्यालय अथवा मुंबई कार्यालय) में अपना स्थलीय सलाहकार तैनात करना आवश्यक है। यह अपेक्षा (यदि कोई हो) चयनित बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले स्थलीय सहायता (जैसा खंड (4) उपरोक्त) में उल्लिखित है) के निर्धारित दिनों की संख्या के अतिरिक्त है। यदि विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सलाहकार की तैनाती नहीं होती है तो बैंक में सहायता कर्मचारी तैनात करने में प्रति दिन देरी के लिए स्थलीय सहायता हेतु लागू दर के 1 प्रतिशत एवं प्रत्येक अनुरोध के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत तक का दंड लगाया जाएगा। ऐसी किसी भी घटना में यदि देरी पांच दिनों से अधिक होती है तो बैंक संविदा/आदेश निरस्त कर सकता है। यदि स्थलीय अनुरक्षण सहायता में वर्ष में 12 अलग-अलग घटनाओं से अधिक की देरी होती है तो भी बैंक द्वारा संविदा/आदेश निरस्त की जा सकती है।
6. सफल बोलीदाता समर्पित सहायता दल का फोन, ईमेल पता, प्रसार मेट्रिक्स उपलब्ध कराये। संपर्क के विवरणों में किसी प्रकार के परिवर्तन होने के मामले में राष्ट्रीय आवास बैंक को अग्रिम में अवगत करना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक भी प्रति कार्यवाही के अनुसार उपस्थिति शीट रखेगा।
7. सहायता दल में संसाधन/सलाहकारों में किसी प्रकार के बदलाव होने पर सफल बोलीदाता द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित किया जाय।
8. बैंक विस्तृत अंतरों का विश्लेषण करने के लिए तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करेगा। सफल बोलीदाता को लेखा परीक्षा फर्म द्वारा सूचित अंतर/समस्या यदि कोई हों, का निवारण करना होगा। उक्त का समाधान करने के लिए समय सीमा एवं प्रयास का अनुमान पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जाएगा।
9. राष्ट्रीय आवास बैंक में परिवर्तन प्रबंधन पूर्वपरिभाषित प्रक्रिया है जो समुचित दस्तावेजीकरण अनुमोदन तंत्र के माध्यम से प्रणाली में होने वाले सभी परिवर्तनों पर नजर रखती है। इस सहायता चरण के दौरान सफल बोलीदाता प्रणाली में किसी प्रकार के बदलाव के लिए प्रक्रिया का पालन करे। अनुरोधों के प्रकार पर निर्भर ऐसे सभी बदलाव परिवर्तन में प्रबंधन प्रक्रिया के निम्नलिखित उल्लिखित पाथ में से एक का पालन होगा।  
(क) किसी प्रकार का सिस्टम एरर, समस्या, बग फिक्स अथवा उत्पाद वेंडर एसएपी से कोई संस्तुतियां राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति बिना किसी अतिरिक्त लागत के सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादित की जाएगी।

- (ख) नई फील्डों का परिवर्धन/विलोपन, मानचित्रण में बदलाव, स्थैतिक एवं गतिशील कतार सृतिज करना/संशोधित करना, ढांचागत बदलाव इत्यादि जैसे मौजूदा अंतराफलकों से संबंधित कोई बदलाव राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति बिना किसी अतिरिक्त लागत के सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादित की जाएगी।
- (ग) इस कार्यक्षेत्र में परिभाषित मॉड्यूल के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक में कार्यान्वित प्रक्रियाओं से संबंधित बदलाव के कोई अनुरोध गैर वाणिज्यिक बदलाव अनुरोध के तौर पर माना जाएगा। ऐसे मामले में सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति बिना किसी अतिरिक्त लागत के बदलाव करेगा।
- (घ) पूरी तरह से नई प्रक्रियाओं अथवा किसी नये विकास इत्यादि से संबंधित बदलाव पर बदलाव के अनुरोध के लिए अपेक्षित कुल प्रयास (श्रम दिवस) सफल बोलीदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक दोनों आपसी तौर पर सहमत होंगे।
10. सफल बोलीदाता आवश्यक पैचेज एवं विज्ञप्तियां लागू करेंगे जब भी विकास, गुणवत्ता एवं उत्पादन परिवेश पर उपलब्ध हो। विकास के परिवेश में पैचों का 2/3 स्तरीय सहायता दल द्वारा परीक्षण किया जाय एवं बाद में उत्पादन में कार्यान्वित करने से पूर्व परीक्षण परिवेश में उपयोगकर्ताओं की ओर से यूएटी किया जाएगा।
11. सफल बोलीदाता इस आरएफपी में उल्लिखित/भावी जरूरतों पर स्थलीय/स्थलेतर सहायता प्रदान करेगा। भुगतान वाणिज्यिक बोली में उद्धृत सहमत शर्तों एवं दरों के अनुसार जारी किया जाएगा।
12. सफल बोलीदाता के सलाहकार घटना प्रबंधन एवं परिवर्तन प्रबंधन (सीएचएआरएमएस एंड सर्विस डेस्क) एवं सहायता अवधि के दौरान उठे अभिलेखन/नजर रखने की समस्याओं के लिए एसएपी सोल्यूशन मैनेजर का इस्तेमाल करेगा। बोलीदाता समस्याओं का निवारण करने के लिए घटना प्रबंधन साधन (एसएपी सोल्यूशन मैनेजर) में ज्ञान डेटाबेस का अनुरक्षण करेगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना/समस्या के लिए समाधान प्रदान करने में सहायता दल द्वारा उक्त का इस्तेमाल किया जा सके।
13. यह सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि वह मौजूदा विन्यास (अनुप्रयोग एवं डीबी) यानि एसक्यूएल सर्वर 2006 से एसक्यूएल सर्वर 2016 तक पूरा मौजूदा एसएपी परिदृश्य का तकनीकी कार्यान्वयन करे। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर लाइसेंस बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी कार्यान्वयन में डीसी एवं डीआर यथा ईसीसी, ईपी, बीआई/बीओ, सोलमेन, आईडीईएस, वेब डिस्पेचर, एसएपी रूटर इत्यादि का पूरा मौजूदा परिदृश्य शामिल है।
14. बैंक एसएपी उत्पादन सर्वर (अनुप्रयोग एवं डेटाबेस दोनो) की उच्च उपलब्धता (एचए) सुनिश्चित करने के लिए विंडोज क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। यह सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि वह इन क्लस्टरों की व्यवस्था एवं निगरानी करे तथा स्थानांतरण/सहायता अवधि के दौरान किसी प्रकार की समस्याएं दूर करे।

15. सफल बोलीदाता को विंडोज क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे हुए एचए मोड में सोल्यूशन मैनेजर विन्यस्त करना है।
16. सफल बोलीदाता को बैंक के डीआर साइट का तकनीकी कार्यान्वयन करना है जिसमें ईसीसी उत्पादन, ईपी उत्पादन एवं वेब डिस्पेचर शामिल है। एसक्यूएल सर्वर का विन्यास, लॉग शिपिंग भी सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी है।
17. सफल बोलीदाता उपयोगकर्ता/प्राधिकार प्रबंधन, भूमिका प्रबंधन, जीआरसी व्यावहारिकता, बदलाव प्रबंधन, कर्तव्यों का पृथक्कीकरण, बैकअप एवं डीआर प्रबंधन, एसएपी रूटर विन्यास एवं एसएपी में विन्यास से संबंधित अन्य नियंत्रणों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा। सफल बोलीदाता समीक्षा के आधार पर इन क्षेत्रों से संबंधित नीति एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध कराएगा। सफल बोलीदाता सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं द्वारा एसएपी प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए यथोचित टी कोड/भूमिका एवं प्राधिकारों का सुझाव देगा।
18. सफल बोलीदाता सोल्यूशन मैनेजर के नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार होगा। वह राष्ट्रीय आवास बैंक में सभी एसएपी प्रणालियों की केंद्रीय रूप से निगरानी व नियंत्रण के लिए सोलमेन में केंद्रीय उपयोगकर्ता प्रशासन (सीयूए) उपलब्ध कराएगा। परिदृश्य प्रबंधन भी सोलमेन द्वारा किया जाएगा। सफल बोलीदाता ईमेल के माध्यम से समर्थित स्वचालित चेतावनी सुविधा से युक्त सोलमेन द्वारा सीसीएमएस के विन्यास के लिए जिम्मेदार होगा। बोलीदाता किसी भी प्रकार के सीमा उल्लंघन के लिए एसक्यूएलएल सर्वर में ईमेल चेतावनी सुविधायुक्त भी बनाएगा।
19. सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के बीडब्ल्यू एवं बीओ मॉड्यूल के नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार होगा। मॉड्यूलों में रणनीतिक एवं प्रचालनात्मक निष्कर्ष लेने की सुविधा प्रदान करते हुए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए। उपयोगकर्तानुकूल तरीके में प्रमुख संगठनात्मक कार्य-निष्पादन डेटा को दृश्यात्मक रूप से दर्शाने वाले कारोबार आसूचना डैशबोर्ड का विन्यास करना स्वामी के लिए सुलभ होना चाहिए। सफल बोलीदाता बीआई एवं बीओ डैशबोर्ड, कार्यक्षेत्र निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं, के लिए पोर्टल तैयार करेगा:
  - भली भांति अभिकल्पित अंतराफलक का विकास एवं परिनियोजन जिसमें उपयोगकर्ता प्राधिकार, सुरक्षा एवं रिपोर्ट, चार्ट इत्यादि तैयार करने एवं अनुरक्षण करने की विकास सुविधाएं शामिल हैं।
  - भूमिका आधारित पहुंच के आधार पर पूरे उद्यम में पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टें/प्रश्न साझा करना।
  - जॉब की भूमिका द्वारा अमल में लाने वाला कारोबार आसूचना डैशबोर्ड तैयार करना।
  - प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों (केपीआई) दर्शाते हुए चार्ट एवं/अथवा रिपोर्टों का विकास।
20. सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक की पूरी खरीद प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक के एमएम मॉड्यूल का नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार होगा।
21. सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के ईएसएस एवं एमएसएस मॉड्यूल के उन्नयन एवं नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार होगा। यह ईएसएस एवं एमएसएस मॉड्यूल मोबाइल डिवाइस पर भी सुलभ होगा एवं

- मोबाइल अनुकूल होगा। ईएसएस एवं एमएसएस मॉड्यूल में छुट्टी प्रबंधन, छुट्टी अनुमोदन, ऋण प्रबंधन, यात्रा प्रबंधन, संगठन पदानुक्रम प्रबंधन, एलएफसी प्रबंधन सहित लाभप्रदता व भुगतान, वेतन का विवरण, दावे/अग्रिम राशि, कार्य समय जैसे विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं। ईएसएस/एमएसएस पोर्टल आधुनिक डिजाइन एवं सौंदर्यपरक आकृति एवं अहसास के साथ तैयार होगा।
22. सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक में सभी कार्यस्थलों पर एसएपी फ्रंट एंड घटकों के दक्ष वितरण के लिए केंद्रीय जीयूआई अधिष्ठापन सर्वर स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
  23. सफल बोलीदाता पूरे परिदृश्य में एसएपी पैचों के दक्ष वितरण के लिए केंद्रीय पैच अधिष्ठापन सर्वर स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
  24. सफल बोलीदाता अनुकूल बनाने, पुनर्रचना करने एवं प्रशिक्षण करने के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक के एसएपी बाजार स्थल के विन्यास के लिए जिम्मेदार होगा।
  25. सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को स्वीकार्य नमूने में कारोबार प्रक्रिया दस्तावेज, तकनीकी नियमावली, परिचालन नियमावली, प्रशासक नियमावली एवं अंतिम उपयोगकर्ता नियमावली एवं प्राशिक्षण दस्तावेज तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।
  26. एसएपी प्रणाली में केंद्र/राज्य सरकार के बजटों, सांविधिक/कानूनी अनुपालन (यानि सीबीडीटी, मंत्रालय, सेबी, आरबीआई इत्यादि जैसे सांविधिक निकायों द्वारा परिपत्र/अधिसूचना/सूचना) के कारण कोई बदलाव, लेखा परीक्षकों के सुझाव समाविष्ट होंगे। इस कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
  27. सफल बोलीदाता एसएपी प्रणाली से तुलन पत्र, ट्रायल बैलेंस जैसे वित्तीय रिपोर्ट सृजन करने में समर्थ बनाने के लिए जिम्मेदार होगा।
  28. सफल बोलीदाता जब भी आवश्यक हो बिना किसी अतिरिक्त लागत के एसएपी नोट्स का कार्यान्वयन करेगा।
  29. सफल बोलीदाता के कार्यक्षेत्र में एसएपी प्रणाली में नये लेखांकन मानक जैसे इंडएस एवं जीएसटी जब भी राष्ट्रीय आवास बैंक उक्त का कार्यान्वयन विनिश्चित करे, के कार्यान्वयन एवं बाद की सहायता भी शामिल है। प्रभावी आकलन आपसी तौर पर विनिश्चित की जाएगी एवं भुगतान श्रम दिवस एवं श्रम माह दर के तौर पर किया जाएगा।
  30. सफल बोलीदाता उपयोगकर्ताओं को क्रियाकलापों में मार्गदर्शन देगा जब भी अपेक्षित हो। राष्ट्रीय आवास बैंक सफल बोलीदाता के सलाहकारों को मांग के अनुसार उपयोगकर्ताओं को कुछ प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देने के लिए कह सकता है।
  31. सफल बोलीदाता के मूल सलाहकार सभी प्रकार की निगरानी एवं प्रशासनिक क्रियाकलापों का निष्पादन करेंगे जैसे एसएपी सर्वर पुनः शुरू करना (रीस्टार्टिंग), प्रणाली विन्यास का अनुरक्षण, ब्राउजर आधारित उपयोगकर्ता डायलॉग संचालन (एडमिनिस्ट्रेशन), उपयोगकर्ता संचालन (एडमिनिस्ट्रेशन) (एबीएपी/जावा), आरएफसी कनेक्शन एवं निगरानी, समय पर निगरानी की रिपोर्ट देना, बाहरी संसूचना का संचालन, पृष्ठभूमि के कार्यों का निर्धारण करना, प्रिंटर कनेक्शन, प्रणाली की निगरानी व समस्या का निवारण, एसएपी प्रणाली परिदृश्य की स्थापना करना, एसएलडी की निगरानी करना, आवाजाही (ट्रांसपोर्ट) अनुरोध, ग्राहक के उपकरण, एसएपी नोट सहायक तैयार करना/बाहर भेजना/मंगाना, सहायता पैकेज का उन्नयन, प्रणाली में काम के बोझ का विश्लेषण, प्रणाली पर नजर रखना, कार्य निष्पादन विश्लेषण निगरानी, एसएपी मेमोरी प्रबंधन, प्रणाली पर बोझ का सत्यापन, महंगे एसक्यूएल विवरणों का विश्लेषण, एसएपी टेबल बफरिंग, डाटाबेस का सिंहावलोकन एवं निगरानी, डीबी निगरानी उपकरण, बहाली, डीबीए गतिविधि।

32. सफल बोलीदाता एसएपी ईसीसी प्रणाली के विकास, गुणवत्ता एवं उत्पादन में एसएपी आधारित क्रियाकलापों का निष्पादन करेंगे। वे सर्वरों को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए सभी प्रणालियों की निगरानी व जांच के कार्य का भी निष्पादन करेंगे।
33. सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समन्वय करते हुए प्रणाली से संबंधित समस्याओं के लिए अन्य उत्पाद के वेंडरों/सहायक वेंडरों के साथ परिचर्चा करेंगे।
34. सफल बोलीदाता स्क्रीन छवि कार्यबल कार्यनिष्पादन कर्ता, एफआईओआरआई (भविष्य में कार्यान्वित किया जाना है) एवं अन्य एसएपी उत्पादों के लिए सहायता प्रदान करेगा।
35. सफल बोलीदाता डाटाबेस संचालन कार्रवाई जो नियमित तौर पर निष्पादित की जानी है के स्वचालन के लिए डीबीए योजना कैलेंडर एवं एसएपी डाटाबेस की निगरानी, नियंत्रण विन्यास एवं संचालन करने के लिए डीबीए कॉकपिट का विन्यास करेगा।
36. विकास के परिवेश में सहायक दल बग फिक्स/कार्यक्रम में बदलाव की जांच करेगा एवं उसके बाद उत्पादन के लिए उन्हें भेजे जाने से पूर्व गुणवत्ता परिवेश में अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा यूएटी (उपयोगकर्ता स्वीकार्य परीक्षण) किया जाएगा।
37. एसएपी उत्पाद स्तरीय कोई समस्या को एसएपी बाजार स्थल के माध्यम से अवगत कराया जाना एवं उक्त पर त्वरित समाधान की अनुवर्ती कार्रवाई करना आवश्यक है।
38. यदि डीआर स्थल में एसएपी अनुप्रयोग से संबंधित कोई सहायता आवश्यक है तो उक्त डीआर स्थल में सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा।
39. सफल बोलीदाता एसएपी अनुप्रयोगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किये गये तिमाही डीआर ड्रिल में बिना किसी अतिरिक्त लागत के हिस्सा लेगा।
40. सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के दल के मुख्य सदस्यों (न्यूनतम 10 व्यक्ति) के अतिरिक्त प्रक्रिया के उन्नयन एवं बदलाव प्रबंधन प्रक्रिया के घटक के तौर पर अंतिम उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करेगा। प्रशिक्षण की आवश्यकता निरंतर परिभाषित की जाय एवं परियोजना की प्रगति के तौर पर अंतिम उपयोगकर्ता समुदाय एवं मुख्य दल के साथ लगातार पुष्टि की जाय। यह अपेक्षा की जाती है कि यह प्रशिक्षण अनेक सत्रों में आयोजित होगा एवं सहायोग से पूर्ण होगा। प्रशिक्षण की सभी लागतें बोली की कुल कीमत में जोड़ी जाय एवं अलग/अतिरिक्त शुल्क पर विचार नहीं किया जाएगा।
41. सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के अवकाश कैलेंडर का पालन करेगा। वे राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार (प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक) के दौरान स्थलीय सहायक दल तैनात करेंगे। वेंडर दल को कार्य घंटों के बाद देर तक काम करना है एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति कोई अतिरिक्त लागत बिना जब भी आवश्यक हो अवकाश पर समस्याओं पर उपस्थित होना है।
42. अति आवश्यक कार्य अथवा किसी विशेष अवसर के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक सफल बोलीदाता के सलाहकारों को कोई अतिरिक्त लागत का भुगतान किए बिना सप्ताहंत/अवकाश को कार्य करने को कह सकता है।

**सेवा स्तर एवं दांडिक खंड**

43. सफल बोलीदाता एसएपी उत्पादन संबंधी समस्याओं की सहायता से संबंधित निम्नलिखित सेवा स्तरीय करार (एसएलए) का पालन करेगा:

गंभीरता का स्तर	गंभीरता का प्रकार	विवरण	समाधान की अवधि स्तर	उपरिकाल का प्रतिशत
एस1 - कारोबार में गतिरोध	संकटपूर्ण	<ul style="list-style-type: none"> <li>कोई अनुप्रयोग उपलब्ध नहीं है एवं कारोबार की मुख्य प्रक्रिया का निष्पादन रोक देता है। वैकल्पिक हल संभव नहीं है।</li> <li>किसी अनुप्रयोग का कारोबार का मुख्य हिस्सा उपलब्ध नहीं है। वैकल्पिक हल संभव नहीं है।</li> <li>कारोबार के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का निष्पादन नहीं</li> </ul>	4 घंटे तक	99%
एस2 – कार्य निष्पादन में गिरावट/आंशिक प्रभाव	उच्च	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रत्युत्तर देने के समय के साथ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का कार्य निष्पादन जिसमें करार से काफी हद तक विषयांतर है।</li> <li>उपयोगकर्ता काम करने में समर्थ है लेकिन समस्या के कारण सामान्य उत्पादकता स्तर हासिल करने में असमर्थ है।</li> </ul>	24 घंटे तक	99%
एस3 – नियमित चूक की श्रेणी	मध्यम	<ul style="list-style-type: none"> <li>किसी अनुप्रयोग का गैर कारोबारी महत्वपूर्ण हिस्सा अनुपलब्ध है। वैकल्पिक हल संभव नहीं है लेकिन उपयोगकर्ता सामान्य उत्पादकता स्तर हासिल करने में समर्थ है।</li> <li>समस्या ने उपयोगकर्ता के परिणाम पर कुछ प्रभाव डाला है एवं वैकल्पिक हल संभव है।</li> <li>अधिकांश क्रियाकलाप सामान्य</li> </ul>	48 घंटे तक	98%

एस4 – कारोबार पर तुरंत प्रभाव नहीं।	कम	<ul style="list-style-type: none"> <li>समस्या ने उपयोगकर्ता के परिणाम पर कुछ प्रभाव डाला है एवं वैकल्पिक हल संभव है।</li> <li>अनुप्रयोग एवं इसके अवयवों का बहुत कम उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है एवं अनुपलब्धता से कारोबार प्रभावित नहीं होगा।</li> </ul>	72 घंटे तक	98%
-------------------------------------	----	---	------------	-----

कारोबार रूकने (डाउनटाइम) की गणना का कार्यपद्धति

- कारोबार रूकने (डाउनटाइम) की गणना बैंक के रिपोर्टिंग समय से की जाएगी।
- कारोबार रूकने (डाउनटाइम) के प्रभावी के घंटों की गणना गंभीरता के प्रत्येक मापदंड के प्रति उपयुक्त मान निर्दिष्ट करते हुए की जाएगी। कारोबार रूकने (डाउनटाइम) की गणना का आधार निम्नानुसार है:

गंभीरता	मान	कारोबार रूकने (डाउनटाइम) के प्रभावी के घंटों की गणना के सूत्र
एस 1	1.0	मान * घंटों में कारोबार रूकना (डाउनटाइम)
एस 2	0.6	मान * घंटों में कारोबार रूकना (डाउनटाइम)
एस 3	0.4	मान * घंटों में कारोबार रूकना (डाउनटाइम)
एस 4	0.2	मान * घंटों में कारोबार रूकना (डाउनटाइम)

- तिमाही में कारोबार रूकना (डाउनटाइम) % = (तिमाही में कारोबार रूकने (डाउनटाइम) के प्रभावी के घंटे \* 100 / (24 \* 90))  
जहां (24 \* 90) तिमाही के 90 दिनों में घंटों की संख्या है।  
(\* गुणा का संकेत है)

**सेवा स्तरीय करार (एसएलए) के लिए दांडिक खंड**

- उपरिकाल (गंभीरता के स्तर अनुसार वांछित उपरिकाल) में प्रत्येक 1 प्रतिशत की गिरावट के लिए संविदा लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत के साथ प्रति वर्ष कुल संविदा दर का 1 प्रतिशत का दंड लगाया जाएगा। यदि उपरिकाल में 90 प्रतिशत तक की गिरावट आती है तो संविदा/आदेश निरस्त किया जा सकता है एवं बैंक बोलीदाता से दंड के रूप में वार्षिक संविदा की लागत के 10 प्रतिशत अतिरिक्त के साथ ब्याज के साथ पूरी अग्रिम राशि का दावा कर सकता है।

## 5.2 प्रदेय

1. बोली दस्तावेजों के साथ विस्तृत परियोजना गैट चार्ट उपलब्ध किया जाना है।
2. समस्याओं के विश्लेषण, समाधान एवं लंबित गतिविधियों पर साप्ताहिक रिपोर्ट।
3. हल की गई समस्याओं पर मासिक समीक्षा रिपोर्ट एवं सौंपे गये बदलाव, की गयी आवाजाही इत्यादि का विवरण।
4. सोलमेन से जनित मासिक टीएटी रिपोर्ट एवं परियोजना प्रबंधक द्वारा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
5. उपयोगकर्ताओं, वेंडरों एवं अन्य पणधारकों के साथ सभी बैठकों के कार्यवृत्त।
6. हल किए जा रहे समस्याओं के लिए सोल्यूशन मैनेजर के माध्यम से ज्ञान डाटाबेस तैयार करना।
7. कार्यक्षेत्र में परिभाषित बदलावा प्रबंधन प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजीकरण।
8. कारोबार का खाका, दस्तावेजों का विन्यास, कार्यपरक विनिर्देश के दस्तावेज, तकनीकी विनिर्देश के दस्तावेज, स्रोत कूट जहां भी कोई बदलाव हो।
9. पैच उन्नयन के दस्तावेजीकरण जब भी पैच उन्नयन की गतिविधि निष्पादित की जाय।
10. एसएपी सर्वर (विकास, गुणवत्ता एवं उत्पादन) पर तकनीकी सहायता गतिविधियों का अनुसूचीकरण एवं दस्तावेजीकरण।
11. कारोबारी घंटों के दौरान एवं सप्ताहंत सहित कार्यालय घंटों के बाद की जिम्मेदारियों के साथ सहायक दल एवं प्रसार मेट्रिक्स का अद्यतनीकृत मासिक विवरण प्रस्तुत की जाय।
12. नई कार्यान्वित प्रक्रियाओं अथवा मौजूदा प्रक्रियाओं में किसी बदलाव के लिए उपयोगकर्ता नियमावली एवं प्रशिक्षण दस्तावेज।
13. राष्ट्रीय आवास बैंक को मासिक उपस्थिति शीट प्रस्तुत की जाएगी जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुरक्षित उपस्थिति पंजिका से सत्यापित किया जाएगा।

## 6. परियोजना की अनुसूची

चयनित वेंडर कार्य आदेश देने के 10 दिनों के भीतर निर्दिष्ट कार्य की शुरूआत के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रधान कार्यालय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। परियोजना पूरी करने की समय-सीमा निम्नलिखित तालिका में दी गयी है।

क्र.सं.	महत्वपूर्ण परियोजना	पूरा करने का समय
1.	कार्यक्षेत्र के अनुसार एसएपी तकनीकी कार्यान्वयन गतिविधि	20 दिन
2.	एफआईसीओ अपेक्षाएं पूरी करना (चरण I)	60 दिन
3.	एफआईसीओ अपेक्षाएं पूरी करना (चरण II)	60 दिन



उद्देश्य केवल बोलीदाता को मूल्यांकन प्रक्रिया का एक विचार प्रदान कराना है जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक अपना सकता है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कोई कारण बताये जो भी हो निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर (संभावित बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने से पूर्व) मूल्यांकन प्रक्रिया का संशोधन करने एवं ऐसे किसी भी बदलाव पर बोलीदाताओं को अवगत कराने की किसी आवश्यकता के बिना संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी अथवा सभी बोलीदाताओं से विशिष्ट स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है।

**कृपया यह भी ध्यान दें कि राष्ट्रीय आवास बैंक के पास ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि उक्त अपूर्ण पाया जाता है अथवा इस आरएफपी दस्तावेज में दिये गये विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

सबसे पहले वेंडर द्वारा इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्रदान किये गये 'न्यूनम पात्रता मानदंड' का विवरण का खंड 10.1 में वर्णित मानदंड के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस आरएफपी के तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तर पर केवल उन वेंडरों पर विचार किया जाएगा जो न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करते हों। वेंडरों को अनुलग्नक – 'घ' में प्रदान किये गये प्रारूप में अपना प्रत्युत्तर देना आवश्यक है।

तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन यानि गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस):

अपनाये जाने वाला प्रस्तावित मूल्यांकन मानदंड गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस) होगा जहां तकनीकी बोली के अंक में 80 का भारांक दिया जाएगा जबकि वाणिज्यिक बोली के अंक में 20 का भारांक दिया जाएगा।

तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तरों का मूल्यांकन निम्नलिखित खंडों में उल्लिखित मानदंड के आधार पर किया जाएगा।

## 7.2 न्यूनतम पात्रता मानदंड

वे प्रस्ताव जो न्यूनतम पात्रता मानदंड का अनुपालन न करते हों जैसा नीचे गणना की गयी है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा एवं उस पर तकनीकी बोली के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंड का पालन होना चाहिए।

- i. बोलीदाता के पास विगत पांच वर्षों में कम से कम निरंतर दो वर्षों का प्रसांगिक अनुभव (सेवाओं के संबंध में जिसके लिए यह निविदा प्रकाशित की गयी है) होना चाहिए जहां उसने एसएपी सहायता अथवा सेवाओं का कार्यान्वयन किया हो। (क्रय आदेश अथवा संविदा की प्रति संलग्न करें)।
- ii. बोलीदाता के पास ऐसे एक संगठन में एसएपी सहायता परियोजना का एक अनुभव होना चाहिए जिसका राष्ट्रीय आवास बैंक के बराबर कम से कम 200 एसएपी उपयोगकर्ता का उपयोगकर्ता का आधार हो। उक्त कार्यक्षेत्र में एसएपी एबीएपी, एबीएपी-एचआर, वेबडिनप्रो, वर्कफ्लो, एसएपी बेसिस जैसे उद्यम पोर्टल एवं एसएपी तकनीक प्लेटफार्म के माध्यम से एसएपी ईएसएस/एमएसएस के साथ एफआईसीओ

- (सीएफएम एवं सीएमएल मॉड्यूल), एमएम, एचआर जैसे एसएपी कार्यपरक मॉड्यूल शामिल हों।  
(उपरोक्त के समर्थन में क्रय आदेश अथवा संविदा की प्रति एवं अन्य प्रमाण संलग्न करें)।
- iii. बोलीदाता ने केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कम से कम 1 वर्ष की अवधि के साथ कम से कम एक एसएपी सहायता अथवा कार्यान्वयन परियोजना का निष्पादन किया हो। (क्रय आदेश अथवा संविदा की प्रति संलग्न करें)।
  - iv. बोलीदाता कंपनी के पास इसके पैरोल में एसएपी सहायता क्षेत्र में कम से कम 50 निपुण एसएपी प्रमाणित पेशेवर होने चाहिए।
  - v. बोलीदाता एसएपी साझीदार हो।
  - vi. बोलीदाता निविदा प्रस्तुत करने के समय पर भारत सरकार अथवा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा विगत तीन वर्षों में काली सूची में न डाला गया हो/ विवर्जित न किया गया हो और असंतोष जनक का पत्र प्राप्त न किया हो।
  - vii. विगत तीन वर्षों में बोलीदाता का न्यूनतम सालाना कारोबार 10 करोड़ रुपये हो। (सीए के प्रमाणपत्र एवं वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 का लेखा परीक्षित तुलन पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें)।
  - viii. बोलीदाता का दिल्ली-एनसीआर, भारत में कार्यालय हो जिसमें दिल्ली-एनसीआर कार्यालय में कम से कम 25 एसएपी पेशेवरों का दल स्थायी तौर पर विद्यमान हों।

### 7.3 तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन

- i) बोलीदाता से प्राप्त न्यूनतम पात्रता मानदंड की बोलियां बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोली जाएगी जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अधिसूचित अनुसूची के अनुसार उपस्थित रहने की इच्छा रखते हैं। इसके उपरांत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। 'न्यूनतम पात्रता मानदंड' के प्रत्युत्तर के आधार पर बोलीदाता का तकनीकी मूल्यांकन के लिए छांट लिया जाएगा।
- ii) तकनीकी बोली का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाएगा जिसके आधार पर प्रत्येक बोली को सापेक्षिक तकनीकी अंक (आरटीएस) दिया जाएगा। 89 के अंक (कट ऑफ मार्क) से अधिक अथवा बराबर आरटीएस प्राप्त करने वाली तकनीकी बोलियां बाद के दौर में विचार के लिए पात्र होंगी। तकनीकी मूल्यांकन के मापदंड को व्यापक तौर पर निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

### तकनीकी बोलियों (अंक का वितरण)

तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए मानदंड एवं अंक प्रणाली निम्नानुसार है;

अधिकतम अंक: 100)

	मानदंड के अंक	अधिकतम मानदंड अंक
1. एसएपी सहायता में फर्म के अनुभव के वर्षों की संख्या (क्रय आदेश अथवा संविदा की प्रति संलग्न करें)		अधिकतम अंक 20
क. 3 से 5 वर्ष	05	
ख. 5 से 7 वर्ष	10	
ग. 7 वर्ष से अधिक	20	
2. ग्राहकों की सूची (एसएपी सहायता के संबंध में) अंक देने के लिए केवल वर्तमान में वैध संविदाओं (विगत पांच वर्ष तक) पर ही विचार किया जाएगा। (क्रय आदेश अथवा संविदा की प्रति संलग्न करें)		अधिकतम अंक 20
○ भारत में 5 अथवा उससे अधिक सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान/ बड़े उद्योग के लिए	20	
○ भारत में 3 अथवा उससे अधिक सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान/ बड़े उद्योग के लिए	10	
	05	
4. एसएपी सहायता का प्रबंधन करने वाली फर्म के पेरोल में निपुण एसएपी पेशेवरों का विवरण		अधिकतम अंक 20
● 150 से अधिक पेशेवर	20	
● 100 से अधिक 150 पेशेवर	15	
● 50 से 100 पेशेवर	10	
5. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/बड़े उद्योग में सीएफएम, एमएम एवं एलसीएम मॉड्यूल के साथ एसएपी कार्यान्वयन में अनुभव		अधिकतम अंक 08
क) यदि हां	08	
ख) यदि नहीं	00	

6. विगत तीन वित्तीय वर्षों में औसत कारोबार		अधिकतम अंक 7
10 करोड़ से 30 करोड़ रुपये	03	
30 करोड़ से अधिक 50 करोड़ रुपये तक	05	
करोड़ रुपये से अधिक	07	
7. प्रस्तुतिकरण		अधिकतम अंक 25

- i. बोलीदाता को उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक मानदंड के लिए सहायक दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करानी है ऐसा न करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- ii. कुल 80 अंक (प्रस्तुतिकरण के अंकों को छोड़कर) से अधिक अथवा में से 65 अंक का कुल अंक प्राप्त करने वाली तकनीकी बोलियां प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए पात्र होंगी।
- iii. तकनीकी बोली के लिए न्यूनतम अर्हता अंक कुल 100 अंक (प्रस्तुतिकरण के अंक सहित) में से 80 अंक (कट ऑफ अंक) होगा।

नोट: ऐसा संगठन जिसका विगत तीन वर्षों के दौरान औसत सालाना कारोबार 1000 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक है उसे इस आरएफपी में बड़े उद्योग क्षेत्र माना जाएगा।

#### 7.4 वित्तीय बोली

तकनीकी बोली के अपेक्षित मानदंड की सफलतापूर्वक अर्हता रखने वाली कंपनियों पर ही वित्तीय बोली के दौर की पात्रता के लिए विचार किया जाएगा।

वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा:

- ◆ सबसे न्यूनतम बोली को 100 अंकों का अधिकतम वित्तीय अंक दिया जाएगा।
- ◆ अन्य वित्तीय बोलियों के वित्तीय अंक की गणना सबसे कम मूल्यांकित वित्तीय बोली के सापेक्ष में की जाएगी।
- ◆ वित्तीय अंक गणना करने की कार्यप्रणाली निम्नलिखित है:

$$\text{वित्तीय अंक (विचाराधीन बोली)} = \frac{100 \times \text{कीमत (सबसे बोली)}}{\text{कीमत (विचाराधीन बोली)}}$$

## 7.5 अंतिम प्रक्रिया

- ◆ प्रस्तावों को निम्नलिखित विवरणानुसार तकनीकी एवं वित्तीय अंकों को मिलाकर प्राप्त उनके अंतिम अंक के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा।

$$\text{अंतिम अंक (एफएस)} = \text{तकनीकी अंक} \times \text{टी} + \text{वित्तीय अंक} \times \text{एफ}$$

(टी-तकनीकी बोली को दिया गया भारांक, एफ-वित्तीय बोली को दिया गया भारांक,  $\text{टी} + \text{एफ} = 1$ )

- ◆ बोलियों के भारांक निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:

I.	तकनीकी बोली	टी	80%
II.	वित्तीय बोली	एफ	20%
	कुल भारांक		100%

- ◆ सबसे अधिक तकनीकी एवं वित्तीय अंक प्राप्त करने वाली कंपनी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- ◆ बैंक के पास मूल्यांकन मानदंड, कार्यपद्धति, अंकों का वितरण एवं भारांक संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है यदि ऐसा आवश्यक पाया जाता है।

## 8. वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें

बोलदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों पर ध्यान दें।

### 8.1 आरएफपी की लागत

बोली की कीमत 5000 रुपये तय की गयी है। बोलीदाता को 'तकनीकी प्रस्ताव' (कृपया अनुलग्नक 'एफ' देखें) के लिफाफे में 5000 रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) आवश्यक रूप से जमा करना है। ई भुगतानके साक्ष्य के बिना प्राप्त कोई बोली अनुत्तरदायी माना जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

### 8.2 मुद्रा

बोलदाता से अनुरोध है रुपये में अपनी कोटेशन दें। रुपये से अलग मुद्रा में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

### 8.3 कीमत

- i. बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- ii. कीमत पांच वर्षों की पूरी संविदा की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- iii. कीमत में वाणिज्यिक बोली के अनुसार सभी कर, शुल्क, उदग्रहण प्रभर, दुलाई, बीमा, चुंगी इत्यादि शामिल होने चाहिए।

- iv. बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत बोलीदाता के अनुबंध के कार्य निष्पादन यानि पांच वर्षों की अवधि एवं उससे अधिक बढ़ाई गयी अवधि यदि राष्ट्रीय बैंक को आवश्यक हो, के दौरान स्थिर रहेगी।
- v. समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- vi. संविदागत दरों के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक पिछले वर्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा के बाद वार्षिक रूप से आदेश (आर्डर) देगा। कृपया ध्यान दें बोलीदाता बैंक के प्रधारन कार्यालय में तिमाही आधार पर परियोजना की समीक्षा करेगा। सभी भुगतान बैंक द्वारा उक्त की सकारात्मक समीक्षा के अधीन होंगे।
- vii. किसी प्रकार की भावी अपेक्षा (मांग) के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लिखित दरों के अनुसार अनुबंधित कार्य दिवस एवं इस आरएफपी में लागू निबंधनों के अनुसार आदेश दिया जाएगा। आदेश स्वीकार करने पर बैंक के विवेक पर इस आरएफपी की दंड व निरस्त करने की शर्तें लगाई जाएगी।

#### 8.4 भुगतान की शर्तें

कोई भी भुगतान एसएलए पर हस्ताक्षर होने के पश्चात की जारी किया जाएगा।

भुगतान की शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. कार्यक्षेत्र में शामिल एकबारगी लागत (जैसा वाणिज्यिक बोली के बिंदु I के क्रम सं. 1, 2, 3, 4 में उल्लिखित है) इसके सफलतापूर्वक पूरा होने एवं बैंक द्वारा समाप्त करने के पश्चात जारी की जाएगी।
2. प्रत्येक चरण के प्रति भुगतान इसके पूरा होने के एवं बैंक के संबंधित उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सफलता पूर्वक समाप्त होने बाद किया जाएगा जैसा इस आरएफपी में उल्लिखित है। एक वर्ष की वैधता के साथ समतुल्य मूल्य की पीबीजी प्रस्तुत करने के पश्चात ही भुगतान अग्रिम में जारी किया जा सकता है।
3. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थलीय एवं स्थलेतर एसएपी परामर्श सहायता कार्य के प्रति लागत का भुगतान तिमाही आधार पर एवं प्रत्येक तिमाही के आखिर में किया जाएगा।
4. बोलीदाता प्रत्येक तिमाही जिसमें परामर्श प्रदान किया गया है, की समाप्ति के बाद बैंक को प्रदान की गई सेवाओं का समय पत्र एवं विवरण प्रस्तुत करेगा। भुगतान की गणना अनुबंध के नियमों के अनुसार की जाएगी एवं बैंक से अनुमोदन मिलने के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।
5. भावी श्रम दिवस के प्रति भुगतान यदि बैंक इस्तेमाल करता है, निर्दिष्ट कार्य पूरा होने पर एवं बैंक की संतुष्टि के अधीन किया जाएगा।
6. किसी प्रकार की अतिरिक्त मांग होने पर आरएफपी की वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर बिल भेजा जाएगा। बोलीदाता बैंक का अनुमोदन लेने के बाद ही बिल प्रस्तुत करेगा।

#### 8.5 संविदा के समापन के मामले में भुगतान

कोई भी यदि संविदा समाप्त की दी जाती है तो सेवाओं का भुगतान लागू दंड एवं टीडीएस/अन्य करों की कटौती के पश्चात प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New